

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2015 सत्र)

(7 दिसम्बर, 2015 से 18 दिसम्बर, 2015 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम (1)	प्रभारी मंत्री (2)	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3)	प्रश्नों की सूचना देने का अन्तिम दिनांक (4)
---------------------	-----------------------	---	---

वर्ग-1

किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	— " —		
सहकारिता	— " —	7 दिसम्बर, 2015	10 नवम्बर, 2015
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	14 दिसम्बर, 2015	18 नवम्बर, 2015
परिवहन	परिवहन मंत्री		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	— " —		
लोक सेवा प्रबंधन	— " —		
जन शिकायत निवारण	— " —		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-4			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
**वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	उद्योग मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	—”—	10 दिसम्बर, 2015	13 नवम्बर, 2015
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	—”—	17 दिसम्बर, 2015	20 नवम्बर, 2015
वन	वन मंत्री		
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
उच्च शिक्षा	—”—		

वर्ग-5			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री		
विकित्सा शिक्षा	—”—		
आयुष	—”—		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	—”—	11 दिसम्बर, 2015	13 नवम्बर, 2015
संसदीय कार्य	—”—	18 दिसम्बर, 2015	20 नवम्बर, 2015
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
आदिम जाति कल्याण	आदिम जाति कल्याण मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	—”—		
श्रम	श्रम मंत्री		
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण	—”—		
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	—”—		

भोपाल :
दिनांक : 6 नवम्बर, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट.—

- कृपया प्रश्न यथासमय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री" में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
 - कृपया उपर्युक्त प्रारूप अनुसार प्रश्नों की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित प्रपत्र में ही दें।
 - विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगे।
 - सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11:00 बजे दिन से 4:30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेगी।
 - मा. सदस्य प्रश्नों में म. प्र. विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 31(2) के संदर्भ में वरीयता क्रम (यथा प्रथम, द्वितीय) अवश्य दर्शायें।
- * मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक 180, दिनांक 15 मई, 2015 के द्वारा नवीन विभाग गठित किया गया।
- ** मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक 147, दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग विलोपित कर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग में (सार्वजनिक उपक्रम प्रकोष्ठ) सम्मिलित किया गया।